संख्या-336 /2005/XIV-1/2005

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरॉचल शासन.

सेवा में,

सचिव, कृषि विभाग/दुग्ध विकास विभाग/
मत्स्य विभाग/उद्यान विभाग/उद्योग विभाग/
पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन।

सहकारिता, अनुभागः–1 देहरादूनः दिनॉकः 7 जून 2005

विषयः– **एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का अधिकाधिक उपभोग।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उत्तरांचल सरकार द्वारा सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने, स्थानीय बेरोजगारी को कम करने एवं सहकारी समितियों के समग्र विकास व समितियों को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली की सहायता से कतिपय जनपदों में सहकारिता विभाग के माध्यम से एकीकृत सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है, वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी एवं अल्मोड़ा जनपद आच्छादित है यह योजना का कार्यकाल पॉच वर्ष का है, जिसके लिए स्वीकृत **कार्य योजना** में विस्तृत वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य विषयवार स्पष्टतः चिन्हित किये गये है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जनपद टिहरी में वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ हुई है और योजना लागत रू0 550.04 लाख स्वीकृत है, जनपद देहरादून में वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ इस योजना की लागत रू0 588.84 लाख स्वीकृत है, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ योजना लागत रू0 462.94 लाख है, जनपद चमोली में वर्ष 2001–02 से चालू इस योजना का लागत रू0 519.95 लाख है तथा जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2002–03 से चालू इस योजना का लागत रू0 579.73 लाख है। जनपद हरिद्वार में यह योजना

उत्तरांचल राज्य के गठन के तत्काल बाद ही प्रारम्भ कर दी गई थी जिसके विरूद्ध सभी किश्तें शासन द्वारा पूर्व में ही निर्गत की जा चुकी है। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, सहकारी संघों, उपभोक्ता भंडार, दुग्ध विकास, मत्स्य विकास, चाय की खेती एवं प्रोसेसिंग, हथकरघा उद्योग, बायों फर्टीलाईजर, जड़ी–बूटी विकास एवं पर्यटन क्षेत्र के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। परियोजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से सहकारी समितियों को व्यवसाय वृद्धि/विकास हेतु धनराशि ऋण/अंशधन के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष व्याज सहित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को वापस किया जाता है, वित्तीय सहायता का स्वरूप संलग्न है। योजना के लिये स्वीकृति योजना लागत के सन्दर्भ में शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति चार किश्तों में निर्गत की जाती है इस हेतु सम्बन्धित जनपद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारित वार्षिक भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। शासन द्वारा निर्गत योजना किश्त की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की जाती है।

2. राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु समय–समय पर निदेश जारी किये जाते रहे है, परन्तु प्रायः यह पाया गया कि विभागों के मध्य आपसी समन्वय की कमी के कारण परियोजना प्रगति धीमी रह रही है, जिससे वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नही हो पा रहा है, इस परिपेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनपद स्तर पर परियोजना का सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने का कष्ट करें। परियोजना में चिन्हित लक्ष्यों का भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा कृपया मासिक रूप से सुनिश्चित करने एवं प्रगति आख्या मासिक रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय। इस हेतु सम्बन्धित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परियोजना के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन हेतु सहकारिता विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

3. सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा वी0पी0एल9 परिवारों द्वारा लिये जाने वाले सहकारी ऋणों पर व्याज दरों में कमी कर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु **सहकारी**

सहभागिता योजना दिनॉक 1.5.2005 से प्रारम्भ की गयी है। तद्विषयक शासनादेश संख्या–233/2005/XIV–1/2005 दिनॉक 28.4.2005 की प्रतिलिपि एतद्द्वारा संलग्न कर सम्प्रेषित करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया **सहकारी सहभागिता योजना** के सफल कार्यान्वयन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 236 (1)/2005/XIV-1/2005/तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक/अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल.
2. निदेशक, कृषि विभाग/मत्स्य/उद्यान/पर्यटन/डेरी विकास, उत्तरांचल.
3. महाप्रन्धक, उद्योग विभाग, उत्तरांचल.
4. समस्त जिलाधिकारियों को इस निदेश के साथ प्रेषित की सहकारी सहभागिता योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तरांचल के पत्र संख्या–सी 04/अधि0/सह.सह.यो./05–06 दिनॉक 11.5.2005 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की प्रगति आख्या शासन को प्रत्येक माह नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
6. समस्त उप निबन्धक/समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल.
7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर उत्तरांचल.
8. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव।